



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272024  
CG-DL-E-23042026-272024

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1975]  
No. 1975]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सहकारिता मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

**का.आ. 2048(अ).**— "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 (2025 का 11) की धारा 22 की उप-धारा (2) के साथ पठित "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी परिनियम, 2025 के परिनियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की दिनांक 16 जुलाई, 2025 की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 16 जुलाई, 2025, को संख्या का.आ. 3247(अ) के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के, पैराग्राफ 2 में, "सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी" के शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:—

"3. सहकारिता मंत्रालय से दो अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे, जिनमें से एक अधिकारी ऐसा होगा जो सहकारी नीति और संसद से संबंधित और दूसरा ऐसा अधिकारी होगा जो सहकार से समृद्धि से संबंधित कार्य कर रहा हो।"

[फा. सं. के-17/1/2025-एमओसी]  
आनंद कुमार झा, संयुक्त सचिव

**नोट:** मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 3247(अ), दिनांक 16 जुलाई, 2025 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF COOPERATION**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

**S.O. 2048(E).**— In pursuance of statute 8 of the “Tribhuvan” Sahkari University Statutes, 2025, read with sub-section (2) of section 22 of the “Tribhuvan” Sahkari University Act, 2025 (11 of 2025), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Cooperation, dated 16<sup>th</sup> July, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3247(E), dated the 16<sup>th</sup> July, 2025, namely: —

In the said notification, in paragraph 2, under the heading “Joint Secretary and above level officer from the Ministry of Cooperation”, for serial number 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely: —

“3. Two officers not below the rank of Joint Secretary from the Ministry of Cooperation, out of which one shall be an officer who is dealing with the Cooperative Policy and Parliament and the other one shall be an officer who is dealing with the Cooperation to Prosperity.”

[F. No. K-17/1/2025-MoC]

ANAND KUMAR JHA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3247(E), dated the 16th July, 2025.